आयोजनेत्तर

संख्या-3/1978/18-4-2013-6(19)/84

प्रेषक,

आर0ए0 सिंह,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश्,
कानपुर ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 13 दिसम्बर,2013

विषय: अल्प संख्यक समुदाय के दस्तकारों की सहायता करने तथा हस्तकला के उन्नयन से सम्बन्धित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परियोजना के लिए प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-571/18-4-2013-6(19)/84, दिनांक 09-05-2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अल्प संख्यक समुदाय के दस्तकारों की सहायता करने तथा हस्तकला के उन्नयन से सम्बन्धित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 7,00,000/-(रूपये सात लाख) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 3,50,000/- (रू0 तीन लाख पचास हजार) मात्र की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है :-

2. उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृति योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृति धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

4. योजना का कार्यान्वयन एवं इस सम्बंध में व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-1515/दस-2012-231/2012, दिनांक 09.07.2012 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित कराने हेतु वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत लेखा शीर्षक -'3453-विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन -आयोजनेत्तर-194-निर्यात संवर्धन तथा विपणन विकास के लिए सहायता-04-अल्प संख्यक समुदाय के दस्तकारों की सहायता करने तथा हस्तकला के उन्नयन से सम्बन्धित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परियोजना के अंतर्गत सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या-ई-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28.03.2013 में प्रदत्त अधिकारो के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आर0ए0सिंह)
अनुसचिव।

संख्या-571(1)/18-4-2013-6(19)/84, तद्वदिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, उद्योग, (अर्थ अनुभाग) उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
6. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल आगरा/जिलाधिकारी, अलीगढ़ ।
7. महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र अलीगढ़ ।
8. अध्यक्ष अल्प संख्यक आयोग, जवाहर भवन लखनऊ ।
9. वाइस चांसलर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनुभाग-3
11. वित्त नियंत्रण, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0सिंह)
अनुसचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in